

# न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 17/2023

राजस्थान सरकार जरिये अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर  
बनाम

.....प्रार्थी

मैसर्स हसीम भाई रेस्टोरेंट एण्ड टी स्टॉल

कायड विश्राम स्थली, अजमेर

(श्री हसीम भाई निवासी मरकस वाली मस्जिद, पक्की सराय, मुरादाबात, उत्तर प्रदेश)

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

## आदेश

दिनांक 27.2.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.01.2023 को उर्स मेला के तहत घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डरों के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जांच दल मैसर्स हसीम भाई रेस्टोरेंट एण्ड टी स्टॉल अजमेर पर पहुँचे दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए।

दुकान पर घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करने की पुष्टि हुई। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) की अवहेलना होने के कारण सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर श्री रामनरेश पु श्री जयालाल खटाणा कार्मिक मैसर्स एसकेहोम एप्लायेंस एजेन्सी अजमेर को बुलवा कर कांटे से वनज करवाने पर सिलेण्डर को सुपुर्द किया गया जिसका विवरण निम्नुसार पाया गया।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	157940	IOCL	15.5	16.5	1	Domestic Cylinder
2	15486	IOCL	15.6	24.6	9	Domestic Cylinder

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा दो घरेलू सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी का पता सही नहीं होने से जिला रसद अधिकारी अजमेर से रिपोर्ट चाही जाने पर अवगत कराया गया कि अप्रार्थी मेले में स्टॉल आदि के संचालन हेतु अस्थायी

डॉ. भारती सिंह  
जिला कलक्टर, अजमेर -

रूप से दूसरे राज्य से आगमन करने से या भयवश जांद दल को अपना मूल पता नहीं बताया गया तथा मेला समाप्ति पर अन्यत्र लौट जाने से वर्तमान में इनके पते/स्थायी पते के संबंध में अवगत कराया जाना संभव नहीं होने से प्रकरण सुनवाई हेतु निवेदन किए जाने पर पैरोकार सरकार को सुना गया ।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 24.01.2023 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये दो घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये दो घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.2.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

( डॉ० भारती दीक्षित )  
जिला कलक्टर  
अजमेर